

पत्र संख्या : 7 वि.शा./मु.रू.स.ज.-06-04/2019-ज.सं.- 176

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 16/12/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभागान्तर्गत समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र० सं०-2, राँची को जल संसाधन विभाग अंतर्गत कतिपय प्रस्तावित परियोजनाओं के परामर्शी के माध्यम से डी०पी०आर० तैयार कराने के निमित्त रु. 614.98 लाख (छः करोड़ चौदह लाख अन्तानबे हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-53/2019-20 प्र०स्वी०, दिनांक-10.10.2019 एवं 54/2019-20 प्र०स्वी०, दिनांक-10.10.2019 Online AA-1628/15.10.19, 1627/15.10.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्र.	मौग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	800-अन्य व्यय/ 75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49S470180800750759	333.28
2.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80- सामान्य	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग/75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	06-अनुदान/ 49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड- 49S470180796750649	281.70
				614.98

आवंटित राशि - ₹ छः करोड़ चौदह लाख अन्तानबे हजार मात्र।


- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट शीर्ष 49S470180796750649 में उपबंधित राशि रु 1700.00 लाख (सतरह करोड़) तथा बजट शीर्ष 49S470180800750759 में उपबंधित रु 3300.00 लाख (तैतीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा साथ ही स्वीकृत्यादेश में निर्धारित अवधि के अन्दर ही कार्यो को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।


नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 176

राँची, दिनांक :- 16/12/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 176

राँची, दिनांक :- 16/12/19


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय,
उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड 49S470180800750759
वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध राशि रु. 3300.00 लाख (तैतीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	राशि	मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन				योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1						25.00	0.00	16.25	16.25	16.25			मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर अंतर्गत पीपी वीयर योजना (ERM) के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, रौंकी द्वारा आमंत्रित RFP No.-02/2019-20
2	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र० सं०-2, रौंकी (DRNMA/090)			54/19-20 प्र०स्वी०, दिनांक-10.10.19 Online A.A-1628/15.10.19	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	77084		निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, झारखण्ड, रौंकी अन्तर्गत Geophysical Survey, Planning, for the construction of Ground Water Recharging/Rain Water Harvesting Structure within the towns situated along the selected seven polluted stretches योजना का DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, रौंकी द्वारा आमंत्रित RFP No.-04/2019-20
3					9.95	0.00	0.00	9.95	9.95	9.95			मुख्य अभियंता, हजारीबाग अन्तर्गत तिलैया जलाशय योजना का पाइपलाइन आधारित संशोधित/परिष्कारित DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, रौंकी द्वारा आमंत्रित RFP No.-05/2019-20
4				53/19-20 प्र०स्वी०, दिनांक-10.10.19 Online A.A-1627/15.10.19	60.00	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	77085		मुख्य अभियंता, रौंकी प्रदेश अंतर्गत विरी जलाशय योजना के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, रौंकी द्वारा आमंत्रित RFP No.-11/2019-20
5					148.08	0.00	0.00	148.08	148.08	148.08			मुख्य अभियंता, रौंकी प्रदेश अंतर्गत कांकी जलाशय योजना के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रूपकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, रौंकी द्वारा आमंत्रित RFP No.-13/2019-20
योग							0.00	333.28	333.28				
आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ तैतीस लाख अठाईस हजार मात्र।													

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 176

दिनांक 16/12/19

का अनुलानक

परिशिष्ट -2

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोग, जन-
उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,
06-अनुदान, 49 आर्थिक सहायता विपत्र कोड - 49S470180796750649
वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध राशि रु. 1700.00 लाख (सतरह करोड़) मात्र।

(राशि लाख रु में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	राशि	मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					18.18	0.00	0.00	13.65	13.65	13.65		मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर अन्तर्गत चाको सिंचाई योजना (ERM) के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रुपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.-06/2019-20
2					23.23	0.00	0.00	17.45	17.45	17.45		मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर अन्तर्गत सोनरे सिंचाई योजना (ERM) के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रुपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.-07/2019-20
3	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र० सं०-2, राँची (DRNMAJ090)	श्री. निरंजित कुमार	मे. मास्टर के प्रस्ताव के निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत	54 / 19-20 प्र०स्वी०, दिनांक-10.10.19 Online A.A-1628/15.10.19	139.00	0.00	0.00	69.50	69.50	69.50	77080	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची अन्तर्गत Protection and Management of flood plain zone and assessment and regulation of environment flow के action plan सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रुपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.-03/2019-20
4					10.71	0.00	0.00	8.05	8.05	8.05		मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर अन्तर्गत जमुने सिंचाई योजना (ERM) के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रुपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.-08/2019-20
5					80.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00		मुख्य अभियंता, राँची प्रखंड अंतर्गत कानाडीह जलाशय योजना के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रुपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.-10/2019-20
6				53 / 19-20 प्र०स्वी०, दिनांक-10.10.19 Online A.A-1627/15.10.19	89.30	0.00	0.00	58.05	58.05	58.05	77082	जल संसाधन विभाग अन्तर्गत Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP) के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रुपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.-14/2019-20
7					63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00		मुख्य अभियंता, देवघर अंतर्गत त्रिकुट जलाशय योजना के DPR सूत्रीकरण हेतु मुख्य अभियंता, रुपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा आमंत्रित RFP No.-01/2019-20
योग							0.00	281.70	281.70	281.70		
आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ एकासी लाख सत्तर हजार मात्र।												

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव